

संख्या- 6667 / III(2) / 13-32(प्रौआ0) / 2013

अमित सिंह नेगी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 2 नवम्बर 2013

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, मोड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 16 पम्पक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 61.45 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 738.99 लाख है, पर त्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 634.22 लाख (₹ छः करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार मात्र) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 16 कार्य हेतु ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार राशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निर्वाकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। संनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जि में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अनुमोदन आवश्यक होगा।

इ उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न करे। प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही अनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत करते समय किया जायेगा।

शाने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग शी/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी में न किया जाय।

किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्टरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर शा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

यव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में अनुदान सं0-22-लेखाधीनक-5054 सहकों तथा सेतुओं पर पूजोगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य मदों-800-अन्य व्यय-05-सड़क/मयन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-02 उद्देश निर्माण आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर लकी राशि

6667

-2-

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा।  
स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत  
निर्देशन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क  
योजना में स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो  
उसकी स्वीकृति स्वतः निरस्त नहीं की जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कसई गई डिजाईन मानक पूर्ण रूप  
से आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते  
नुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान  
22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत  
अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 558/XXVII(2)/2013 दि०: 21 नवम्बर, 2013 में  
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
प्रभारी सचिव

(1)/III(2)/13-32(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

लिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

सम्बन्धित जिलाधिकारी।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।

गई बुक।

आज्ञा से.

Photo Copy Attested

(महिमा)  
अनु सचिव

AE

संख्या- 6667 / 111(2) / 13-32(प्र0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

|                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 406/2012 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में चार-चानी मोटर मार्ग का विनयखाल तक विस्तार का कार्य।                                                                           | 2.00                       | 32.40<br>(₹ 11.70 + ₹ 20.70<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति<br>नियमावली से कराये जाने<br>वाले कार्य) | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 408/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में चार-चानी मोटर मार्ग का चार-चानी तक विस्तार का कार्य।                                                                          | 10.45 +<br>18mt + 30<br>mt | 64.49                                                                                          | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-409/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में चार-चानी से आश्रम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।                                                                        | 3.00                       | 34.18<br>(₹ 17.55 + ₹ 16.63<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति<br>नियमावली से कराये जाने<br>वाले कार्य) | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 412/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में चार-चानी से चकचौड़- भुजनार-मयकोट होते हुए चार-चानी तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण।                                     | 4.50 +<br>24mt             | 46.64<br>(₹ 28.01 + ₹ 18.63<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति<br>नियमावली से कराये जाने<br>वाले कार्य) | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 417/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली विकास खण्ड भिलंगना में कफोलगांव नामे तोल से चार-चानी भवन पुर्वाल गांव तक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण में परिवर्तन का कार्य। | 1.00                       | 5.59<br>(₹ 1.45 + ₹ 4.14<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति<br>नियमावली से कराये जाने<br>वाले कार्य)    | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-721/2012 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में चार-चानी नदी पर बिन्ता भिचिलम में पुल का निर्माण।                                                                     | 70 mt                      | 4.49<br>(₹ 4.06 + ₹ 0.43 उत्तराखण्ड<br>अधिप्राप्ति नियमावली से कराये<br>जाने वाले कार्य)       | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-380/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में चार-चानी नदी में स्थान भराकाण्डे पर 30 मी0 पैदल गार्डर सेतु का निर्माण।                                                   | 30 mt                      | 1.20                                                                                           | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-380/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के चार-चानी से रणाऊँ होते हुए ध्यूली धौनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (15मी0 स्पान के 2 नं0 सी0सी0 पुल सहित)।              | 10.00 +<br>02 brg          | 60.60                                                                                          | 0.10 |
|                                                                                                                                                                                                                     | 66.45 +<br>10 brg          | 634.22                                                                                         | 1.60 |

( कुल ₹ एक लाख साठ हजार मात्र )

Photo Copy Attested

*[Signature]*  
AC

( महिमा )  
अनु सचिव